


2017/00560

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री प्रदीप खान पुत्र कालूखां निवासी 18-क-3 ज्योति नगर विधान सभा सहकार मार्ग, जयपुर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 290/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.18	<p style="text-align: center;">: निर्णय :</p> <ol style="list-style-type: none">1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 29.9.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।3. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 584 दिनांक 18.12.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 498 दिनांक 04.11.17 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।6. निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;"> (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर</p>	